सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/353 दर्ज तिथिः—05.06.2025

1. गोमाराम पुत्र मंगलाराम
   जाति जाट साकिन रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी।

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. कालूराम वल्द अखाराम
   जाति जाट निवासी सनावड़ा खुर्द तहसील गुड़ामालानी

..............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी मूल खसरा संख्या 446/9 रकबा 01—13 बीघा मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है।
   - कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा खसरा संख्या 446/9 रकबा 01—13 बीघा का आपसी सहमति से बंटवारा आदेश क्रमांक/भू0अ0/लो0अ0/2018/12 दिनांक 14.05.2018 की पालना में नामान्तरण संख्या 558 दिनांक 18.04.2019 पारित किया गया। जिससे खसरा संख्या 446/12 रकबा 0.1335 है0 प्रार्थी के पक्ष में तथा खसरा संख्या 446/9 रकबा 0.1335 है0 विप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज किया गया।
   - कि सहमति बंटवारा की पुश्त पर स्वीकृत नामान्तरण के आधार पर मूल खसरा से विभाजित खसरों की तरमीम मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 15 वर्तमान 68 पर प्रार्थी को एवं [विप्रार्थी] सं. 02 को बराबर—बराबर 11—11

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested

मीटर की जानी थी। लेकिन प्रार्थी के खसरा संख्या 446/12 मुख्य सड़क पर तरमीम 11 मीटर के स्थान पर 06 मीटर कर दी तथा विप्रार्थी सं. 02 के खसरा संख्या 446/9 मुख्य सड़क पर 11 मीटर के स्थान पर 16 मीटर तरमीम कर दी गई। उक्त दोनो खसरों का रकबा तो सही दर्ज किया गया लेकिन लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करते वक्त सहमति विभाजन प्रस्ताव से भिन्न कर दी गई। जिससे मौका व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई।

- कि विप्रार्थी सं. 02 द्वारा खसरा संख्या 446/9/0.1174 है0 जिसमें से राज्य सरकार के पक्ष समर्पण किये जाने से खसरा संख्या 446/13/0.0162 है0 अंकित किया गया। सहमति विभाजन प्रस्ताव की पुश्त पर तरमीम अंकित नहीं किये जाने से मौके व राजस्व नक्शा में भिन्नता उत्पन्न हो गई। जिसे सहमति विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट 'अ' अनुसार किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 02 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2125 दिनांक 24.02.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया—

- प्रार्थी का आवेदन झूठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। राजस्व रेकर्ड यथा खसरा नक्शा में तरमीम व मौका कब्जा एवं विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही की गई थी। सड़क पर भी वर्तमान नक्शा अनुसार ही बंटवारा व तरमीम की हुई है।
- कि मूल खसरा संख्या 446/9 का सह खातेदारों प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 02 द्वारा सहमति से बंटवारा करने के बाद विभक्त खसरों की किस्म कृषि भूमि से भिन्न अकृषि(वाणिज्यिक) हो चुकी है इस प्रकार उक्त संपरिवर्तित खसरों का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में नही होने से उक्त आवेदन क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किया जावे।
- कि विप्रार्थी सं. 02 का भूखण्ड वर्तमान कब्जा व तरमीम के आधार पर मौका देखकर श्रीमानजी न्यायालय द्वारा ही वाणिज्यिक संपरिवर्तन किया गया है। जिसके साथ वर्तमान खसरा नक्शा, ब्लू प्रिंट व सुपर इम्पोज भी लगा है। जब तक संपरिवर्तन आदेश स्टेंड है तब तक उक्त आवेदन के जरिये नक्शों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested

- कि विप्रार्थी सं. 02 द्वारा विप्रार्थी स. 02 को बिना सुने व मौका निरीक्षण किये बिना ही तहसील कार्यालय में बैठे–बैठे प्रार्थी के कहे अनुसार प्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मौका रिपोर्ट कब्जे से भिन्न बनाकर पेश कर दी गई है। जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया गया तो विप्रार्थी सं. 02 के साथ भारी अन्याय होगा।
- कि मौका रिपोर्ट विभाजन व मौके से भिन्न बनाकर पेश किया गया है जो गलत होने से अस्वीकार है।
- कि भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत स्वीकृत एवं सहमति के तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जाता है। असहमति होने पर भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत आवेदन को स्वीकार नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने लायक है।
- कि प्रार्थी का आवेदन तथ्यों से परे, विधि विरूद्ध एवं विप्रार्थी सं. 02 को परेशान व हैरान करने के लिए पेश किया जाने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

हाल राजस्व रिकॉर्ड

प्रस्तावित परिशिष्ट 'बी'

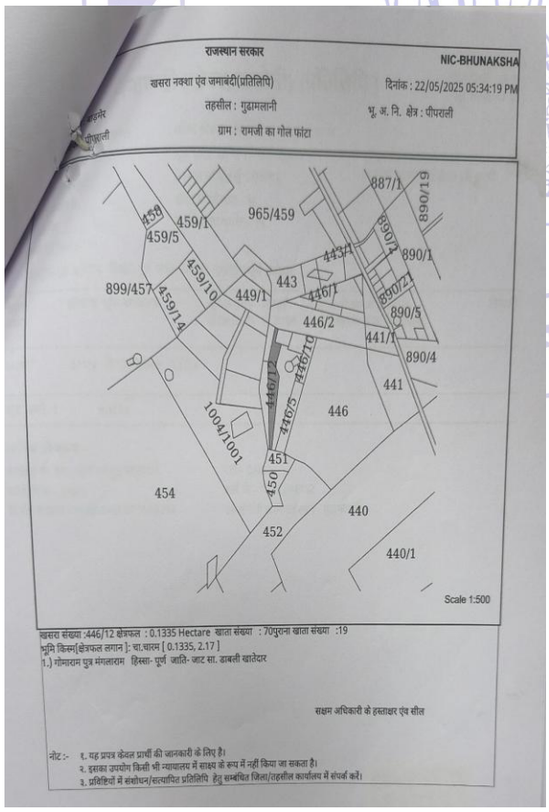

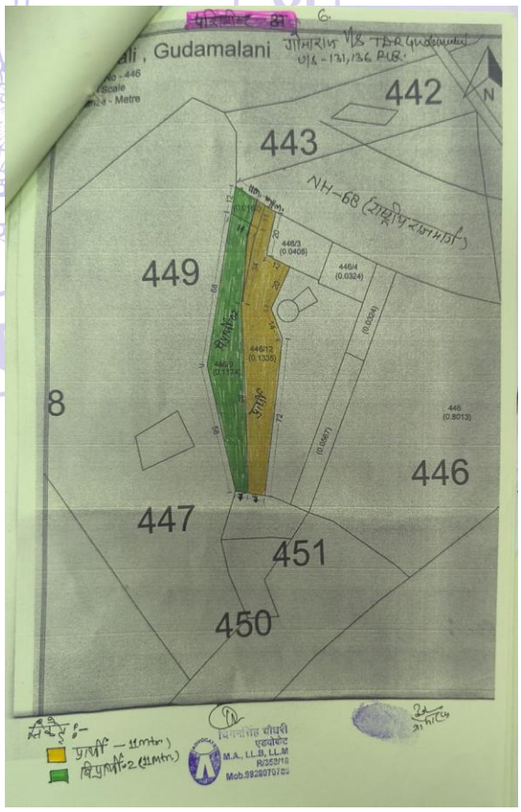

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी पत्रांक/[illegible]6/2125 दिनांक 24.02.2026 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested

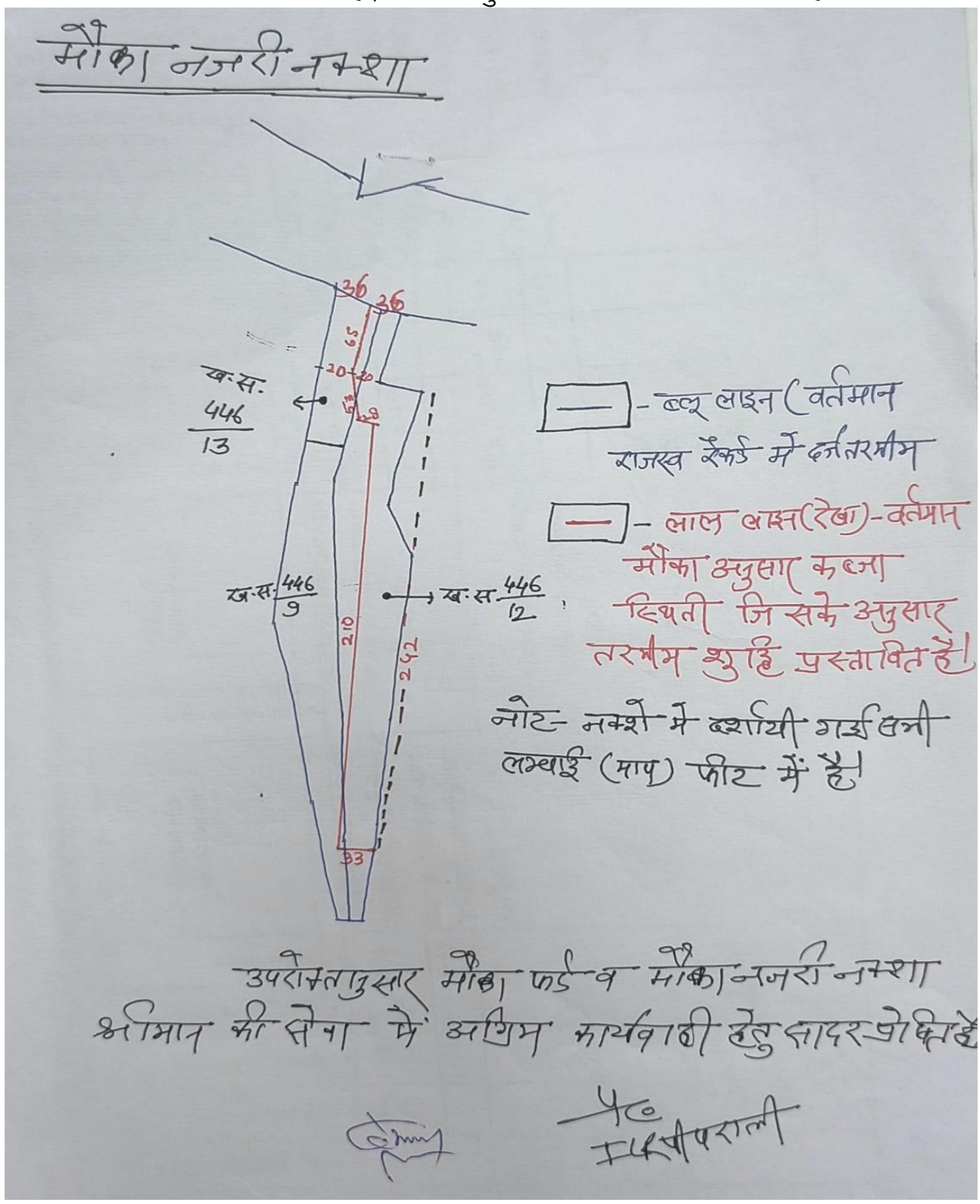

द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों के मध्य सहमति प्रदान की गई है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2125 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2125 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

- कि मूल खसरा संख्या 446/9 के सहमति विभाजन आदेश व वर्तमान तरमीम में भिन्नता है। मूल खसरा संख्या 446/9 से विभजन आदेश से बने नये खसरा सं. 446/9 व 446/13 (वर्तमान में 446/12) की फ्रंट सीमा 11 मीटर व 11

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested

मीटर की बजाए 16 व 6 मीटर है। जो कि 11 मीटर व 11 मीटर किया जाना उचित है। वर्तमान में मौंके पर दोनो खसरों का फ्रंट (रोड पर हिस्सा) बराबर—बराबर है। जिसका नक्शा संलग्न है।

- मूल खसरे से बने हाल खसरे की तरमीमें विभाजन आदेश के संलग्न नक्शें से भिन्न है।
- हाल खसरों की तरमीमे वास्तविक कब्जा अनुसार किया जाना उचित है जिसका नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। खसरा संख्या 446/12 की शुद्धि खसरा सं. 446/11 के रूप में की जानी है। इस संदर्भ में लेख है कि मूल खसरा सं. 446/9 के विभाजन से समान रकबे के दो खसरे 446/9 व 446/11 बने। खसरा संख्या 446/11 वर्तमान में खसरा संख्या 446/12 के रूप में दर्शाया जा रहा है। जबकि सही खसरा संख्या 446/11 है। जिस बाबत नामान्तकरण की प्रति संलग्न है। अतः खसरा संख्या 446/12 को 446/11 से संशोधित किया जाना उचित प्रस्तावित है।

8. प्रकरण में पक्षकारान के मध्य पूर्व में सहमति विभाजन दिनांक 14.05.2018 के साथ संलग्न विभाजन के नक्शे का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि पक्षकारान की संयुक्त आराजी खसरा संख्या 446/9 मौजा सनावड़ा खुर्द एक सड़क पर अवस्थित है। उक्त खसरा का उभयपक्षकारान के मध्य सड़क पर समान चौड़ाई का विभाजन करते हुए बाकी रकबे का विभाजन किया गया था। परंतु उक्त खसरे के विभाजन दिनांक 14.05.2018 की पालना के समय तरमीम करते वक्त सड़क पर समान चौड़ाई की तरमीम नहीं की गई। इस प्रकार उक्त सड़क पर समान चौड़ाई की तरमीम करवाने हेतु प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही उक्त खसरे की सड़क पर समान चौड़ाई की तरमीम दुरूस्त करने पर उभयपक्षकारान का रकबा यथावत रखने हेतु आवश्यक तरमीम संशोधित करने के अतिरिक्त अन्य तरमीम को सहमति विभाजन दिनांक 14.05.2018 के अनुसार ही रखा जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2125 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम को उक्त विवेचन अनुसार खसरे की सड़क पर समान चौड़ाई की तरमीम दुरूस्त करने पर उभयपक्षकारान का रकबा यथावत रखने हेतु आवश्यक तरमीम संशोधित करने के अतिरिक्त अन्य तरमीम को सहमति विभाजन दिनांक 14.05.2018 के अनुसार ही रखा जाकर तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2026/2125 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा के आधार पर खसरा संख्या 446/9 मौजा सनावड़ा खुर्द की सड़क पर उभयपक्षकारान हेतु समान चौड़ाई की तरमीम दुरूस्त करने पर उभयपक्षकारान का रकबा यथावत रखने हेतु आवश्यक तरमीम संशोधित करने के अतिरिक्त अन्य तरमीम को सहमति विभाजन दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested

14.05.2018 के अनुसार ही रखा जाकर तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.13 13:31:36 IST
Reason: SelfAttested